न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— राजेश कुमार मीना (आरएएस)

वाद संख्या :— 951/2020 निर्णय दिनांक :— 12.04.2021

उनवान

1. कैलाश पुत्र रामगोपाल
2. ग्यारसी पत्नि बजरंगा
3. रामरतन पुत्र रामगोपाल
4. रामलाल पुत्र रामगोपाल
5. सत्य नारायण पुत्र गुमान
6. रामकरण पुत्र मूल्या
7. सुरेश कुमार पुत्र बजरंगा
8. मु. अजोध्या पत्नि गुमान

समस्त जाति जाट, निवासीयान— ग्राम यादगारपुरा तहसील कोटखावदा जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू

प्रतिलिपि
खण्ड अधिकारी
चाकसू, जिला—जयपुर

——अप्रार्थीगण

दावा बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner

वादीगण की ओर से वाद पत्र निम्न प्रकार से किया गया वाके ग्राम यादगारपुरा तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर में आराजी खाता सं. 70 में खसरा नंबर 10 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 11 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 12 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर 26/2 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 32/414 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 33 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 8/2 रकबा 0.95 है0, खसरा नंबर 89/421 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 89/423 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 09 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 92 रकबा 1.25 है0, खसरा नंबर 95 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 96 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 98 रकबा 0.44 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.34 है0 स्थित है। जो वादीगण के नाम है। उक्त आराजी में खसरा नंबर 26/2 ही विवादित है। उपरोक्त वर्णित आराजी का पूर्व में संयुक्त खाता था जिसका तकासमा न्यायालय श्रीमान की डिक्री दिनांक 29.01.2011 मुकदमा नं. 224/07 उनवान जगदीश बनाम ग्यारसी देवी वगै. के तहत हुआ तथा उक्त आराजी वादीगण के हिस्से में आई लेकिन जब न्यायालय श्रीमान की डिक्री का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में करने बाबत तहसीलदार जी को आदेशित किया गया तो सहवनवश वादीगण के खसरा नंबर जो 26/1 रकबा 0.65 है0 आये उक्त का इन्द्राज वादीगण के खाते में 26/1 नहीं करके खसरा नंबर 26/2 कर दिया गया जो गलत है क्योंकि खसरा नंबर 26/2 रकबा तो अन्य खातेदारान के आया था। वादीगण के तो खसरा नंबर 26/1 रकबा 0.65 है0 आया है जिसका राजस्व नक्शे में तो खसरा नंबर 26/1 ही कर दिया गया लेकिन राजस्व जमाबंदी में सहवनवश खसरा नंबर 26/2 कर दिया गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है । उक्त गलती राजस्व कर्मियों

अधिकारी
(... जयपुर)

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड-चाकसू, जिला-जयपुर

CRT\kailash vs sarkar.docx

Scanned with CamScanner

की गलती से हुई है जिसको दुरूस्त करवाने का हक व अधिकार वादीगण को है। जब वादीगण दिनांक 20.08.2020 को किसी कार्यवश जमाबंदी निकलवाई तो वादीगण को उक्त गलती का पता चला तब वादीगण ने उक्त गलती को दुरूस्त करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार साहब को दिया तो उन्होने कहा कि गलती तो हो गई लेकिन अब यह न्यायालय के आदेश से ही दुरूस्त की जा सकती है इसलिये उक्त वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है। दावा वादीगण बहस प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वाद पत्र में मद नं. 1 में वर्णित आराजी में वादीगण के खसरा नंबर 26/2 को दुरूस्त किया जाकर खसरा नंबर 26/1 किया जावे तथा इस आशय का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने का आदेश तहसीलदार कोटखावदा को दिया जावें।

दावा वादी वकील वादी द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी व जवाब सरकार हेतु पत्र क्रमांक 3859 दिनांक 08.09.2020 के द्वारा लिखा गया जिसकी पालना में तहसीलदार कोटखावदा ने पत्र क्रमांक/राजस्व/21/95 दिनांक 19.01.2021 के द्वारा जवाब इस प्रकार पेश किया गया कि प्रकरण में पटवारी हल्का गरूडवासी से रिपोर्ट ली गयी। जिसके अनुसार बिन्दुवार जवाब सरकार निम्नानुसार है। बिन्दु संख्या 01 स्वीकार है। बिन्दु संख्या 02 स्वीकार है। बिन्दु संख्या 03 वादी स्वयं सिद्ध करें। बिन्दु संख्या 04 न्यायालय से सबंधित है। बिन्दु संख्या 05 न्यायालय से सबंधित है। बिन्दु संख्या 06 न्यायालय से सबंधित है। बिन्दु संख्या 07 क स्वीकार है। ग्राम यादगारपुरा के नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 25.07.2011 को स्वीकार हुआ। जिसमें वादीगण के ख.न 26/1 रकबा 0.65 है0 एवं जगदीश, बद्री

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड-चाकसू जिला-जयपुर

धिकारी
(जयपुर)
:RT\kailash vs sarkar.docx

Scanned with CamScanner

पिता हजारी के व ख.न 26/2 रकबा 0.06 है0 आये थे। मुताबिक डिक्री निर्णय सही है। परन्तु उक्त नामान्तकरण संख्या 128 में ख0न 26/1 रकबा 0.65 है0 सही दर्ज किया गया। परन्तु जो गोपाल पिता मूलचंद वगै के होने चाहिये थे, ख.न 26/2 रकबा 0.06 है0 सहवन से ख.न 26/1 रकबा 0.06 है0 दर्ज हो गया है। उक्त जमाबंदी में खाता संख्या 37 में मुताबिक डिक्री ख.न 26/1 रकबा 0.06 है0 को ख.न 26/2 रकब 0.06 किया जान सही है। जो जगदीश बदरी पिता हजारी वगै के है। बिन्दु संख्या 07 ख न्यायालय से सम्बधिंत है। बिन्दु संख्या 07 ग न्यायालय से संबधिंत है।

जवाब सरकार पेश होने पर दावा वकील वादी की बहस सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये जवाब सरकार अनुसार दावा डिक्री किया जाना जाहिर किया गया ।

वकील वादी की बहस पर गोर किया व दावा जवाब सरकार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का परीक्षण किया गया तो ग्राम यादगारपुरा के ना.स 128 दिनांक 25.07.2011 को स्वीकार किया गया है जिसमे वादीगण के खसरा नबर 26/1 रकबा 0.65 है एवं जगदीश बदरी पिता हजारी के खसर नंबर 26/2 रकबा 0.06 है0 आये थे जो मुताबिक निर्णय व डिक्री अनुसार सही है। परन्तु ना.स 128 में खसरा नंबर 26/1 रकबाा 0.06 है0 दर्ज हो गया जो गलत दर्ज हो गया उसे जवाब सरकार हेतु दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

दावा वादी मुताबिक जवाब सरकार अनुसार डिक्री किया जाकर ग्राम यादगारपुरा तहसील कोटखावदा के आराजी खाता संख्या 70 में खसरा नंबर 10 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 11 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 12 रकबा 0.04 है0, खसरा नंबर

कारी
(जयपुर)

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड-चाकसू, जिला-जयपुर

Scanned with CamScanner

26/2 रकबा 0.65 है0, खसरा नंबर 32/414 रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 33 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 8/2 रकबा 0.95 है0, खसरा नंबर 89/421 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 89/423 रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 09 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 92 रकबा 1.25 है0, खसरा नंबर 95 रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 96 रकबा 0.29 है0, खसरा नंबर 98 रकबा 0.44 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.34 है0 स्थित है शुद्ध किये जाते है व इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सत्य प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड–चाकसू, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner